16वीं लोकसभा के बजट सत्र में पारित महत्वपूर्ण विधेयक

16वीं लोकसभा का बजट सत्र 07 जुलाई से 15 अगस्त 2014 की अवधि में आयोजित किया गया। संसद के दोनों सदनों की 27 बैठकें हुईं और उनमें 6 वित्त विधेयक तथा 6 अन्य विधेयक पारित किए गए।

न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013

विधेयक की मुख्य बातें :

संविधान, (120वां संशोधन) विधेयक, 2013 के जरिए न्याय पालिका में उच्चतर स्तरों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं।

- इसमें न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान है जो न्यायपालिका में उच्चतर स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देगा। इसमें संसद को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं के बारे में कानून बनाएगी।
- न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013 में कहा गया है कि जेएसी में निम्नांकित सदस्य होंगे :

  (i) भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई)

  (ii) उच्चतम न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश

  (iii) केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री, और

  (iv) प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा नामित दो वरिष्ठ व्यक्ति।

- न्यायिक नियुक्ति आयोग के कार्यों में भारत के प्रधान न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में अनुशंसा करना शामिल है।

संयुक्त न्यायिक आयोग संवैधानिक संशोधन विधेयक

संविधान (121वां संशोधन) विधेयक के जरिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण संबंधी संविधान के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 124 (2) में संशोधन करके एक आयोग का प्रावधान करता है जिसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी–नेशनल जूडीशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन) के रूप में जाना जाएगा। एनजेएसी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा।

महत्वपूर्ण मुद्दे और विश्लेषण

- विधि आयोग और संसद की स्थाई समिति सहित विभिन्न निकायों ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान पद्धति का परीक्षण किया है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्य पालिका और न्याय पालिका की भूमिका को लेकर उनकी अलग अलग राय है।
- जेएसी के गठन को संविधान में शामिल नहीं किया गया है बल्कि संसद पर छोड़ दिया गया है जो कानून द्वारा तय करेगी। इसका अर्थ यह है कि जेएसी के संघटन में संशोधन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी बल्कि संसद सामान्य बहुमत से इसमें संशोधन कर सकेगी।
- जेएसी विधेयक का परीक्षण करने वाली स्थाई समिति ने सिफारिश की है कि (i) जेएसी में तीन विशिष्ट व्यक्ति होंगे, (ii) उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची तैयार करने के बारे में व्यापक पैमाने विधेयक में शामिल होंगे, और (iii) केंद्र राज्य स्तरीय नियुक्ति आयोग के गठन पर विचार करेगा जिसमें मुख्यमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और विपक्ष का नेता शामिल होगा।

बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2008

भारत में बीमा कंपनियों को 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी हिस्सेदारी की अनुमति नहीं है। विधेयक में इस सीमा को बढ़ा कर 49 प्रतिशत करने और विदेशी पुनः–बीमाकर्ताओं (ऐसी कंपनियां जो बीमा कंपनियों का बीमा करती हैं) के प्रवेश की अनुमति का प्रावधान है। इसमें बीमा कंपनियों के स्थायी पंजीकरण का भी प्रावधान है। इसमें जीवन बीमा पालिसीधारक को लाभार्थी निर्दिष्ट करने की अनुमति देने का भी प्रावधान है।

बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2008, 22 दिसंबर, 2008 को राज्यसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक श्री अनंत कुमार की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थाई समिति को सौंप दिया गया था।

विधेयक की मुख्य बातें

- विधेयक में विदेशी निवेशकों को भारतीय बीमा कंपनी में 49 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति दी गई है। इसमें राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कंपनियों को पूंजी बाजार से धन उगाहने की अनुमति देने का प्रावधान है।
- जीवन अथवा सामान्य बीमा व्यापार में लगी कंपनियों अथवा सहकारी समितियों के पास न्यूनतम 100 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी अवश्य होनी चाहिए, जबकि स्वास्थ्य बीमा में लगी कंपनियों की न्यूनतम इक्विटी पूंजी 50 करोड़ रुपये अवश्य होनी चाहिए।
- कोई बीमाकर्ता 5 वर्ष के बाद किसी भी कारण से किसी बीमा पालिसी को चुनौती नहीं दे सकता।

- तृतीय पक्ष मोटर बीमा लिखत, अथवा ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों या कमजोर वर्गों से संबंधित पालिसियों की लिखत के संदर्भ में दायित्वों को पूरा करने में विफल बीमाकर्ता पर 25 करोड़ रुपये जुर्माना किया जाएगा।

महत्वपूर्ण मुद्दे और विश्लेषण

- विधेयक में लॉयड्स आफ लंदन को विदेशी कंपनी की परिभाषा में शामिल करने का प्रावधान है। परंतु, यह स्पष्ट नहीं है कि लॉयड्स के सदस्य, जो अंततः पालिसियों के सभी लिखित जोखिम वहन करते हैं, वे देश में प्रचालन में सक्षम होंगे या नहीं।
- आईआरडीए अधिनियम 1999 के अनुसार किसी बीमा कंपनी के भारतीय प्रोमोटर को 10 वर्ष के भीतर अपनी हिस्सेदारी में 26 प्रतिशत कमी करना अनिवार्य है। विधेयक में यह अपेक्षा समाप्त कर दी गई है।
- विधेयक में किसी भी पालिसीधारक को अपने सभी अधिकार किसी तृतीय पक्ष को रेहन करने की अनुमति दी गई है जबकि बीमाकर्ता को ऐसा अंतरण करने की अनुमति नहीं है। ऐसे अंतरण की वैधता कानूनी चुनौती के अधीन है। मुम्बई उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि ऐसे अंतरण वैध हैं जबकि उच्चतम न्यायालय में इस बारे में अपील सुनवाई के अधीन है।
- आईआरडीए के निर्णय के खिलाफ प्रतिभूति अपील प्राधिकरण में अपीलें लंबित हैं, जबकि विधेयक में न्यायाधिकरण के लिए यह प्रावधान नहीं किया गया है कि वह बीमा कानून में अनुभव रखने वाले सदस्य की नियुक्ति करे।
- विधि आयोग ने आईआरडीए अधिनियम के मुख्य प्रावधानों को बीमा अधिनियम में विलय करने का सुझाव दिया था। इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है।

मौजूदा सत्र में पारित अन्य विधेयक

- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2014 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की सीमाओं में संशोधन करता है।
- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2013 अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को शामिल करता है और इसे एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करता है।
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या दूरसंचार सेवा के कार्य में लगी किसी कंपनी में रोजगार का हकदार बनाता है।

स्रोत–पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च